[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11 February, 2021

G.S.R...... (E)-- In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 378H and sub-section (1) of section 378ZL read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), and in supersession of the Producer Companies (General Reserve) Rules, 2003, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Producer Companies Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Applicability.- These rules shall apply to a Producer Company as referred in clause (l) of section 378A.

3. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(b) "section" means the section of the Act;

(c) "co-operative society" means a society registered or deemed to be registered under any law relating to co-operative societies for the time being in force in any State.

(2) Words and expressions used in these rules but not defined and defined in the Act or in the Companies (Specification of Definitions Details) Rules, 2014, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act or in the said rules.

4. Change of place of registered office from one State to another.- The rules 27, 30 and 31 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014, including the forms stated therein shall be applied for the purpose of change of place of registered office of a Producer Company from one State to another.

5. Investment of general reserves.- A Producer Company shall make investments from and out of its general reserves in any one or in combination of the following, namely:--

(a) in approved securities, fixed deposits, units and bonds issued by the Central Government or State Governments or co-operative societies or scheduled bank; or

(b) in a co-operative bank, State co-operative bank, co-operative land development bank or Central co-operative bank; or

(c) with any other scheduled bank; or

(d) in any of the securities specified in section 20 of the Indian Trusts Act, 1882 (02 of 1882); or

(e) in the shares or securities of any other inter-State co-operative society or any co-operative society; or

(f) in the shares, securities or assets of public financial institutions specified under clause (72) of section 2 of the Act.

[File No. 5 /1 /2020-CL.I]

11/2/2021

(K.V. R. Murty)

Joint Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीखः 11 फरवरी, 2021

सा.का.नि...........(अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 378ज की उप-धारा (4) और धारा 378यठ की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और उत्पादक कंपनी (सामान्य आरक्षित) नियम, 2003 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्पादक कंपनी नियम, 2021 है।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन के तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.- ये नियम, धारा 378क के खंड (ठ) में विनिर्दिष्ट किसी उत्पादक कंपनी को लागू होंगे।

3. परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अभिप्रेत है;

(ख) "धारा" से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(ग) "सहकारी समिति" से किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त सहकारी समितियों से संबंधित किसी विधि के अधीन, रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई कोई सोसाइटी अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम या कंपनी (परिभाषाओं के ब्यौरे के विनिर्देश) नियम, 2014 में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम या उक्त नियमों में है।

4. एक राज्य से दूसरे राज्य में पंजीकृत कार्यालय के स्थान में परिवर्तन.- कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 27, नियम 30 और नियम 31, जिसके अन्तर्गत उसमें उल्लिखित प्ररुप भी हैं, उत्पादक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थान परिवर्तन के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त किए जाएंगे।

5. साधारण आरक्षितियों का विनिधान.- कोई उत्पादक कंपनी, निम्नलिखित के किसी एक में या संयोजन में अपनी साधारण आरक्षितियों में से विनिधान करेगी, अर्थात्:-

(क) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या सहकारी समितियों या अनुसूचित बैंक द्वारा जारी किए अनुमोदित प्रतिभूतियों, नियत निक्षेपों, एककों और बंधपत्रों में; या

(ख) किसी सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, सहकारी भूमि विकास बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक में; या

(ग) किसी अन्य अनुसूचित बैंक में; या

(घ) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 02) की धारा 20 में विनिर्दिष्ट किन्हीं प्रतिभूतियों में; या

(ङ) किसी अन्य अंतर राज्य सहकारी समिति या किसी सहकारी सोसाइटी के शेयरों या प्रतिभूतियों में; या

(च) अधिनियम की धारा 2 के खंड (72) के अधीन विनिर्दिष्ट सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं के शेयरों, प्रतिभूतियों या आस्तियों में।

[फाइल सं. 5/1/2020-सीएल-I]

के.वी.आर.मूर्ति
11/2/2021

(के. वी. आर. मूर्ति)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार